दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

निर्णय उद्घोषित: 03.01.2024

ज़मानत आवेदन 1433/2023

रमेश कक्कड़ ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री डी.पी. सिंह के साथ निपुण कत्याल, सुश्री अनम सिद्दीकी, श्री नावेद अहमद, श्री सूर्य प्रताप सिंह राणा और सुश्री किस्मत चौहान, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री आशनीत सिंह, राज्य के अति.लो.अभि. के साथ निरीक्षक सुभाष चंद, पुलिस थाना जामिया नगर।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास महाजन

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. विकास महाजन</u>

1. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत दायर की गई है, जिसमें पुलिस थाना जामिया नगर में दर्ज भा.दं.सं. की धाराओं 302/120 बी/34 के तहत प्राथमिकी संख्या 445/2016 में नियमित जमानत की माँग की गई है।

2. दिनाँक 02.05.2023 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता के जमानत आवेदन में नोटिस जारी किया गया था और राज्य को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। राज्य ने दिनांकित 23.05.223 एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज की है, जैसा की अभिलेख पर है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला जिस प्रकार स्थिति रिपोर्ट से साक्ष्य मिलता है कि दिनाँक 16.05.2016 पर, गोली चलने के संबंध में डी.डी. नंबर 74-बी के माध्यम से एक पी.सी.आर. कॉल पुलिस थाना जामिया नगर में प्राप्त हुई थी, जिसे उप-निरीक्षक पंकज गुलिया को दिया गया, जो मौके के लिए निकल गए। मौके यानी नूर नगर एक्सटेनशन जौहरी फार्म, पर पहुंचने पर उप-निरीक्षक पंकज गुलिया ने सड़क पर काँच के टुकड़े देखे और उन्हें पता चला कि घायल को पहले ही होली फैमिली अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

4. अस्पताल पहुंचने पर उप-निरीक्षक ने घायल मोहम्मद मोइन खान पुत्र मोहम्मद नईम खान आयु 58 वर्ष को चिकित्सा विधिक मामला सं. सी-

16/015226 के माध्यम से भर्ती पाया। डॉक्टर ने कथित विवरण का उल्लेख किया "जब वह आज शाम 7:40 पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था उसको (दाहिनी) सामने की तरफ ऊपर छाती में गोली की 2 संदिग्ध चोटें आई और वह तुरंत बेहोश हो गया और सर्वप्रथम उसकी पत्नी निशांत उपस्थित (सारा विवरण उसकी पत्नी और बेटी द्वारा दिया गया)।" अचेतन एल/ई अप्पर नीयर II इंटरकोस्टल स्पेस, जस्ट लेट्रेल टू मिल्ड केलुसिले लाइन वुंड 1X1 सी.एम. नीयरली ट्राईएंगल शेप इर्रेगुलर मार्जिन्स इनवर्टेड वुंड।" इसके बाद उप-निरीक्षक ने घटना के चश्मदीद गवाहों का पता लगाने का व्यर्थ प्रयास किया। इस बीच, लगभग शाम 09:10 बजे डॉक्टर ने मरीज को "मृत" घोषित कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई।

5. जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त जिनका नाम राम फूल, इज़राइल, सलीम, आमिर और अनवर ओमाइश को दिनाँक 18.05.216 पर गिरफ्तार कर लिया गया और सह-अभियुक्त बिलाल को दिनाँक 19.05.2016 पर गिरफ्तार किया गया। आगे की जाँच के दौरान, यह पता चला कि मृतक नई दिल्ली नगर निगम में एक सहायक विधि अधिकारी/ संपदा अधिकारी था और याचिकाकर्ता के होटल, 'द कनॉट' के संबंध में लाइसेंस शुल्क की वसूली का वाद मृतक के कार्यालय में लंबित था। यह भी पता चला कि याचिकाकर्ता ने मृतक को करोड़ों की भारी रिश्वत की पेशकश करके उसे अपने पक्ष में करने की

कोशिश की, लेकिन मृतक ने इसे अस्वीकार कर दिया और उसने कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला किया।

6. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का मामला है कि याचिकाकर्ता और एन.डी.एम. सी. के बीच का मामला पक्षकारों की लिखित दलीलें दायर करने के लिए 17.05.2016 पर सूचीबद्ध किया गया था और कोई अन्य विकल्प शेष न पाकर, याचिकाकर्ता ने मृतक को खत्म करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची और इस उद्देश्य के लिए उसने भाड़े के हत्यारों की मदद ली, जो सह-अभियुक्त राम फूल, याचिकाकर्ता का निजी सुरक्षा अधिकारी, द्वारा उपलब्ध कराये गए। राम फूल (पी.एस.ओ.) ने बदले में अपने सहयोगी इज़राइल को यह काम सौपा, जिसने आगे यह काम सलीम और आमिर को दे दिया। इसके बाद आमिर ने अनवर ओमैश और बिलाल की इजरायल के साथ मिलने की व्यवस्था की। अनवर ओमाइश ने मृतक को दिनाँक 16.05.2016 पर गोली मार दी, जब वह पिछली सीट पर सवार था और बिलाल मोटरसाइकिल चला रहा था।

7. इसके बाद, जाँच के दौरान, आरोपी बिलाल की निशानदेही पर अपराध का हथियार अर्थात एक पिस्तौल, जिसकी सं. आर.पी.11671 थी, एक जिंदा कारतुस के साथ उसके घर से बरामद की गई, क्योंकि पिस्तौल अनवर ओमैश ने बिलाल को रखने के लिए दी थी।

8. श्री डी.पी. सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में निवेदन किया कि याचिकाकर्ता दिनाँक 18.05.2016 से जेल में है और उसने हिरासत में साढ़े

पाँच साल से अधिक समय बिताया है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने 61 गवाहों का परीक्षण करने की माँग की है, जिनमें से अब तक केवल 31 गवाहों का परीक्षण किया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता को विचारण के समापन तक हिरासत में रखना, जिसके जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है, न्याय हित में नहीं होगा।

9. गुणागुण पर, वह प्रतिविरोध करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अभि.सा.-1 यानी मृतक की बेटी और अभि.सा.-3 यानी मृतक की पत्नी की गवाही पर भरोसा किया है ताकि यह मामला बनाया जा सके कि जब मृतक को घायल अवस्था में कार से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो मृतक ने अभि.सा.-1 और अभि.सा.-3 जो पिछली सीट पर बैठे हुए थे को बताया कि हमलावर याचिकाकर्ता के कहने पर काम कर रहे थे। श्री सिंह के अनुसार, उक्त गवाहों के बयान की पुष्टि अभि.सा.-8 द्वारा नहीं की गई है जो उक्त कार चला रहा था, जिससे अभि.सा.-1 और अभि.सा.-3 का बयान को इच्छुक गवाह, अविश्वसनीय कर देता है,

10. वे प्रस्तुत करते हैं कि अभि.सा.-1 और अभि.सा.-3 की गवाही अभि.सा.-1 और अभि.सा.-3 द्वारा दिए गए विवरण के विपरीत है और अभिलेख पर चिकित्सा विधिक मामला सं. सी-16/015226 लिया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दो गोली से घायल होने के बाद, मृतक बेहोश हो गया था, जिससे मृतक द्वारा अभि.सा.-1 और अभि.सा.-3 को दिया तथाकथित मौखिक

मृत्यु की घोषणा के बारे में संदेह पैदा होता है, जब उन्हें उनके द्वारा कार में अस्पताल ले जाया जा रहा था।

11. वह यह भी प्रस्तुत करता है कि आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष का मामला है कि उप-निरिक्षक जो की घटना स्थल पर गया उसे सड़क पर कांच के टूटे हुए टुकड़े मिले। श्री सिंह के अनुसार, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कथित घटना के समय कार की खिड़की का फलक बंद था और याचिकाकर्ता ने हमलावरों द्वारा अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता को दर्शाने वाला कोई भी कथित बयान नहीं सुना था।

12. इसके अलावा, न्यायालय का ध्यान आर. वेंकटेश की गवाही की ओर आकर्षित किया गया, जो होटल कनॉट के सी.ई.ओ. थे और उनसे अभि.सा.-11 के रूप में पूछताछ की गई थी ताकि यह प्रतिविरोध किया जा सके कि अपराध करने का कोई मकसद याचिकाकर्ता को नहीं बताया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को मृतक से कोई शिकायत नहीं थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामला दिनाँक 17.05.2016 के लिए सूचीबद्ध किया गया था और उक्त तिथि लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के उद्देश्य से तय की गई थी न कि आदेश की घोषणा के लिए।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन कॉल विवरण अभिलेख पर भरोसा करने की मांग की गई है, उनके संबंध में श्री सिंह का प्रतिविरोध है कि याचिकाकर्ता के कॉल विवरण अभिलेख पर मामला बनाने के लिए कोई भरोसा नहीं किया जा

सकता है वह सह-अभियुक्त राम फूल के साथ टेलीफोन पर संपर्क में था, क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का अपना मामला है कि सह-अभियुक्त राम फूल याचिकाकर्ता का पी.एस.ओ. था। इसके अलावा, वह यह भी प्रस्तुत करता है कि सह-अभियुक्त राम फूल और इज़राइल के बीच के कॉल विवरण अभिलेख पर संपूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इज़राइल ने पहले राम फूल के लिए काम किया था।

14. वह निवेदन करता है कि वर्तमान मामले में जाँच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता से आगे कोई वसूली नहीं की जानी है, क्योंकि मुख्य आरोप पत्र के साथ-साथ पूरक आरोप पत्र दिनाँक 10.08.2016, 18.08.2016, 21.09.2016 और दिनाँक 08.12.2016 पर दर्ज किए गए हैं।

15. श्री सिंह ने यह प्रतिविरोध किया है कि याचिकाकर्ता विभिन्न चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित है जो जेल अधीक्षक की चिकित्सा रिपोर्ट के रूप में उचित प्रकार से प्रलेखित हैं और यह याचिकाकर्ता के लाभ के विपरीत होगा।

16. **अख्तर बी (श्रीमती) बनाम एम.पी.राज्य, (2001) 4 एस.सी.सी. 355,** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए हैं श्री सिंह ने प्रतिविरोध किया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया है जबकि कि भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी, न्यायालय को दोषी को पांच साल की सजा काटने के बाद उसकी सजा को निलंबित करने पर विचार करना चाहिए।

17. वह निवेदन करते है कि याचिकाकर्ता को चार मौकों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था और यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकृत की गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और उसने हमेशा समय पर अभ्यपर्ण किया है।

18. इसी पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.पी. सिंह ने आग्रह किया है कि उन्हें नियमित जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

19. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश विद्वान अति.लो.अभि. ने स्थिति रिपोर्ट की तर्ज पर तर्क दिया है। वह निवेदन करते है कि याचिकाकर्ता पर एक संगीन और गंभीर अपराध का अभियोग लगाया गया है, इसलिए, उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

20. वह निवेदन करते है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला सं. एफ.एस.एल. 2016/एफ-5137 दिनांकित 20.04.2017, मृतक के शरीर से बरामद गोली (प्रक्षेप्य) पिस्तौल से चलाई गई थी जो सह-आरोपी बिलाल के कहने पर बरामद की गई थी।

21. वह आगे निवेदन करते है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों के कॉल विवरण अभिलेख और टावर स्थान का विश्लेषण किया गया था, जो उनकी संलिप्तता को प्रमाणित करते है। न्यायालय का ध्यान याचिकाकर्ता की पिछली निम्नलिखित संलिप्तताओं की ओर आकर्षित किया गया थाः

क) प्राथमिकी सं. 445/2016, दिनांकित 16.05.2016, भा.दं.सं. की धारा 302/120ख/201/411/34 और आयुध अधिनियम, 25/27 थान जाम नगर।

ख) प्राथमिकी सं. 463/2002 भा.दं.सं., की धारा 285/304क., थान मंदिर मार्ग, नई दिल्ली।

ग) डी.ए.1-1998-ए-0025 दिनांकित 15.04.1998 भा.दं.सं. की धारा 120ख/406/420/468/471/511 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2)/13 (1)(घ) के तहत ए.सी.बी./सी.बी.आई. द्वारा दर्ज किया गया है।

22. अंत में, विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक साधन संपन्न व्यक्ति है और वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अपने पक्ष में गवाही देने के लिए महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सजा से बचने के लिए न्याय के मार्ग से भाग सकता है।

23. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अति.लो.अभि. को भी सुना है और अभिलेख को भी पढ़ा है।

24. जमानत देने के चरण में, साक्ष्य की विस्तृत जाँच और मामले की गुणागुण के विस्तृत प्रलेखन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, निष्कर्ष बनाते समय प्रथमदृष्टया के लिए ऐसे आदेशों के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत विशेष रूप से क्यों दी जा रही थी, जहाँ अभियुक्त पर गंभीर

अपराध करने का आरोप है। ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश बुद्धि के गैर-अनुप्रयोग से पीड़ित होगा।

25. तदनुसार, अभिलेख पर आए साक्ष्य की जाँच केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को इंगित करने के सीमित उद्देश्य के लिए की जा रही है कि क्या याचिकाकर्ता जमानत पर विस्तार का हकदार है या नहीं।

26. याचिकाकर्ता के लिए दिए गए उद्देश्य कि मृतक याचिकाकर्ता के होटल के खिलाफ लंबित मामले में एक संपदा अधिकारी के रूप में काम कर रहा था और मृतक याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले का फैसला करने के लिए तैयार था।

27. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष बेटी (अभि.सा.-1), पत्नी (अभि.सा.-3) और मुजीबुल उर्फ़ बुल (अभि.सा.-8) की गवाही पर भरोसा कर रहा है, वह व्यक्ति जिसने कार चलाई थी जिसमें मृतक को अस्पताल ले जाया गया था।

28. मृतक की बेटी (अभि.सा.-1) ने अपने अपनी मुख्य जाँच में कहा कि जब उसने अपने पिता को घायल अवस्था में देखा और वह बोल नहीं रहे थे, लेकिन वह जीवित थे। हालाँकि, जब उसने अपने पिता से पूछा, तो उसने कहा कि दो लोग बाइक पर आए थे और पीछे बैठे व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी और इससे पहले उन्होंने कहा था कि "साले तुझे कनॉट होटल के मलिक कक्कड़ के पैसे तो पसंद नहीं आए, अब गोली पसंद आएगी"। अभि.सा.-1 की गवाही भी है कि

मौखिक मृत्यु घोषणा करने के बाद, मृतक ने अपनी आँखें बंद कर ली और इलाज के दौरान होली फैमिली अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की बेटी (अभि.सा.-1) की मुख्य जाँच का प्रासंगिक भाग दिनांक 07.07.2017 पर दर्ज किया गया है जो इस प्रकार हैः-

> *" दिनाँक 16.05.2016 पर, लगभग शाम 05:30 बजे, मैं अपने कॉलेज से घर आया और उस समय मेरी माँ और दो छोटी बहनें घर पर मौजूद थीं। हमारा घर पहली मंजिल पर है, लगभग शाम 07:30 बजे, मुबीजुल उर्फ़ बुल, जो हमारे घर पर रहता था और हमारे घर के काम में हमारी मदद करता था और मेरे पिता को अंकल और मेरी माता को एंटी को कहता था और वह घबराते हुए हमारे घर आया और उसने हमें सूचित किया कि "अंकल को गोली मारदी है"। मैं अपनी माँ के साथ नीचे भागा और देखा कि डी-10 लेन के सामने की गली में मेरे पिता हमारी कार स्विफ्ट डेज़ायर जिसका नं. डी.एल.-2सी.ए.पी.- **4026** में घायल हालत में ड्राइवर की सीट पर पड़े थे। **उनकी छाती के दाहिने हिस्से में घाव से खून बह रहा था। उस समय वह** बोल नहीं रहे थे, लेकिन जीवित थे। इसके बाद, पड़ोसियों की मदद से, हम उन्हें कार की पिछली सीट पर ले गए और तेजी से होली फैमिली अस्पताल की ओर भागे। गाड़ी के अंदर, मैं बाईं ओर बैठा था और मेरी माँ दाईं ओर बैठी थीं और मेरे पिता हमारे बीच बैठे थे और हम उनके शरीर को पकड़े हुए थे। मुजीबुल उर्फ़ बुल कार चला रहा था।*
>
> *XXX XXX XXX XXX*
>
> ***उनको अस्पताल ले जाते समय, मेरे पूछने पर, मेरे पिता ने मुझे बताया कि दो लड़के बाइक पर आए और पीछे बैठे व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी थी और उससे पहले उन्होंने कहा "साले तुझे कनॉट होटल के मलिक कक्कड़ के पैसे तो पसंद नहीं आए, अब***

गोली पसंद आएगी"। हमने उनसे और पूछने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रहे और अपनी आँखें बंद कर लीं। हम उन्हें इलाज के लिए होली फैमिली अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।"

(जोर दिया गया)

29. अभि.सा.-3 का कथन भी इसी आशय का है। दिनाँक 07.10.2017 पर दर्ज अभि.सा.-3 की मुख्य परीक्षा का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः

"जब हम इल्का स्टोर के पास पहुँचे, तो मेरे पति ने अपनी आँखें खोलीं और हमें बताया कि दो लड़के बाइक पर आए थे और पीछे बैठे व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी थी। गोली चलाने से पहले उन्होंने मेरे दिवंगत पति से भी निम्नलिखित शब्द कहे थेः- "साले तुझे कैनॉट होटल के मलिक कक्कड़ के पैसे तो पसंद नहीं आए, अब गोली पसंद आएगी"। हम अपने घायल पति के साथ होली फैमिली अस्पताल पहुंचे, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने चोंटो के कारण दम तोड़ दिया था।"

30. दिनाँक 12.07.2018 पर दर्ज स्वतंत्र गवाह मुजीबुल उर्फ़ बुल (अभि.सा.-8) की मुख्य जाँच का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः-

" मैं गाड़ी चालक की सीट बैठा था जबकि अंटी और इक्रा मृतक के दाहिनी और बाईं ओर थे। रास्ते में साकिब अंकल हमसे मिले। शकिब अंकल ने हाथ से इशारा करके रास्ते को खाली करवाया। यहाँ इल्का स्टोर पर। अंकल ***ने कुछ शब्द बोले क्योंकि अंटी पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन मैं वही नहीं सुन सका जो की मेरा ध्यान वाहन चलाने पर था।"***

(जोर दिया गया)

31. निस्संदेह, अभि.सा.-1 और अभि.सा.-3 क्रमशः मृतक की बेटी और पत्नी हैं, इसलिए, मृतक के करीबी रिश्तेदार होने के कारण, वे गवाह हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले की सफलता से हित रखते हैं। अभि.सा.-1, अभि.सा.-3 और अभि.सा.-8 की गवाही के सामूहिक अध्ययन से पता चलता है कि अभि.सा.1 और अभि.सा.-3 का बयान कि हमलावर याचिकाकर्ता के इशारे पर काम कर रहे थे, अभि.सा.-8 की गवाही से अप्रमाणित रहा है, जो निकट होने के बावजूद मृतक द्वारा तथाकथित मृत्यु घोषणा को सुनने में विफल रहा।

32. अभि.सा.-1 और अभि.सा.-3 की गवाही उनके द्वारा दिए गए विवरण के विपरीत है और चिकित्सक विधिक मामला सं. सी-16/015226 पर अभिलिखित , जिसमें दो गोली लगने की चोटों के बाद इसका उल्लेख किया गया है, मृतक बेहोश हो गया था। यहां तक कि अभि.सा.-1 ने भी अपने मुख्य जाँच परीक्षण के एक चरण में कहा कि मृतक जीवित होने के बावजूद बोल नहीं रहा था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि जब मृतक की अस्पताल में जाँच की गई, वह तब भी बेहोश था। इससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या मृतक को अस्पताल ले जाते समय कार में होश आया और क्या वह तथाकथित मौखिक मृत्यु घोषणा करने के लिए स्वस्थ स्थिति में था जैसा कि अभि.सा.-1 और अभि.सा.-3 में कहा गया है। हालांकि, इस पहलू पर विचारण न्यायालय द्वारा चिकित्सक विधिक मामला, मेडिकल अभिलेख और अन्य सबूतों के संदर्भ में एक उचित स्तर पर गहराई से विचार किया जाएगा जो अभिलेख पर साबित हो

सकता हैं, इस तथ्य के आलोक में कि यहां मौखिक मृत्यु घोषणा डॉक्टर, कार्यकारी दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं की गई है, बल्कि मृतक के परिवार के सदस्यों के लिए की गई है।

33. जहाँ तक मौखिक मृत्यु घोषणा का संबंध है, यह सामान्य कानून है कि इस तरह की मृत्यु घोषणा को सावधानी और सतर्कता के साथ माना जाना चाहिए क्योंकि तब तक्क बयान देने वाला किसी भी प्रति-परीक्षा का विषय नहीं हो सकता है। इस संबंध में ***अरुण भानुदास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 11 उच्चतम न्यायालय के मामले 232,*** पर विश्वास किया है जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> ***"25. यह सुविस्थापित कानून है कि मृतक द्वारा की गई मौखिक मृत्यु घोषणा को सावधानी और सतर्कता के साथ माना जाना चाहिए क्योंकि बयान देने वाले का कथन की प्रति-परीक्षा के अधीन नही हो सकता है। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, कथित मृत्यु की घोषणा किसी भी डॉक्टर या किसी स्वतंत्र गवाह को नहीं की गई थी, बल्कि केवल उस माता को दी गई थी, जो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, केवल अगले दिन अस्पताल में आई थी।*** *लगभग 3:30 बजे जब डॉ. नितिन ने पहले ही राजू की चोटों के लिए ऑपरेशन कर दिया था और उसके बाद वह बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके नथुने में ऑक्सीजन ट्यूब डाल दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाणन अभिलेख पर नहीं रखे है कि ऑपरेशन के बाद मृतक अपनी माता के सामने घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। मृतक राजू द्वारा अपनी माँ अभि.सा. सुंदरबाई को कथित मौखिक मृत्यु घोषणा*

का सबूत अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, हमारे विचार में, उस मृत राजू को उसकी मृत्यु से पहले अपनी माता को मौखिक घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में रखने के लिए तर्कपूर्ण, संतोषजनक और आश्वस्त नहीं था।

(जोर दिया गया)

34. अभि.सा.-8 और अभि.सा.-13, अर्थात् अब्दुल बारी के साक्ष्य में यह भी आया है कि कार (जिसमें मृतक को गोली मारी गई थी) की खिड़की का फलक टूटा हुआ था। इसका मतलब यह होगा कि घटना के समय कार की खिड़की के शीशे, जिसमें मृतक को गोली मारी गई थी, बंद थे। ऐसी स्थिति में क्या मृतक हमलावर का यह कहना सुन सकता था कि *"साले तुझे कनॉट होटल के मलिक कक्कड़ के पैसे तो पसंद नहीं आए, अब गोली पसंद आएगी यह भी संदेह में डूबा हुआ है।*

35. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता को वर्तमान अपराध को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि मृतक, एक संपदा अधिकारी होने के नाते, याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश देने वाला था। हालाँकि, आर. वेंकटेश (अभि.सा.-11) की गवाही से पता चलता है कि प्रॉमिनेंट होटल्स लिमिटेड (प्रासंगिक समय पर कनॉट होटल चलाने वाली एक कंपनी), जिसका याचिकाकर्ता निदेशक था, ने याचिकाकर्ता के मामले में मृतक

को संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अभि.सा.-11 की प्रतिपरीक्षा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> *"XXXXX, अभियुक्त रमेश कक्कड़ के विद्वान् अधिवक्ता श्री एस.पी. कौसल।*
>
> *यह सही है कि मैं श्री राजीव शर्मा, अधिवक्ता के साथ संपदा अधिकारी के समक्ष पेश होते थे और हम न्यायालय की कार्यवाही के बारे में एम.एस. को जानकारी देते थे। मृतक एम.एम. खान संभवतः संपदा अधिकारी से पहले विधि अधिकारी थे। मैं होटल कनॉट की कार्यवाही में प्रत्येक न्यायालय में पेश हो रहा हूं।* ***यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोमिनेंट होटल लिमिटेड ने इस मामले में संपत्ति अधिकारी के रूप नियुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं दी है।*** *मैंने होटल कनॉट के मामले में पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने की सिफारिश नहीं की है। हमें मृतक श्री एम.एम.खान संपदा अधिकारी द्वारा होटल कनॉट के मामले में पारित किसी भी आदेश/कार्यवाही के खिलाफ तब तक कोई शिकायत नहीं थी,जब तक मामला उनके समक्ष नही था। दिनाँक 13.05.2016 पर, दिनाँक 17.05.2016 तक लिखित सारांश दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई थी यदि कोई है, हालांकि आदेश की घोषणा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई थी।"*
>
> *(जोर दिया गया)*

36. जहाँ तक याचिकाकर्ता के कॉल विवरण अभिलेख का संबंध है, यह ध्यान देंना प्रासंगिक है कि स्थिति रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ता राम फूल को छोड़कर किसी अन्य सह-अभियुक्त के संपर्क में

रहा है, जो याचिकाकर्ता का पी.एस.ओ. था। चूंकि याचिकाकर्ता और राम फूल के घनिष्ठ पेशेवर संबंध थे, इसलिए उनके बीच कॉल विवरण अभिलेख का संपर्क होना तय था। हालाँकि, इसका साक्ष्यिक मूल्य विचारण न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता और सह-आरोपी राम फूल और इज़राइल के बीच संपर्क दिखाने वाले कॉल विवरण अभिलेख के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का अपना मामला है कि इज़राइल ने पहले रामफूल के लिए काम किया है।

37. किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता के कॉल विवरण अभिलेख का उपयोग केवल समर्थन या पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में ***आजाद बनाम स.रा.रा.क्षे. दिल्ली,*** मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "*कॉल विवरण अभिलेख डेटा को केवल समर्थन या पुष्टि करने वाले साक्ष्य के भाग के रूप में लिया जा सकता है और दोषसिद्धि केवल कॉल विवरण अभिलेख के आधार पर नहीं की जा सकती है*। इसी तरह, कॉल विवरण अभिलेख का साक्ष्य मूल्य केवल मुकदमे के विचारण के समय देखा जा सकता है न कि जमानत आवेदन पर विचार करने के चरण में। राज्य (एन.सी.बी.द्वारा) बेंगलुरु बनाम पल्लुलाबीद अहमद अरिमुत्ता, में उच्चतम के निर्णय का संदर्भ लाभप्रद रूप से संदर्भ दिया जा सकता है जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार है: -

"12. ...कुछ अभियुक्तों का कॉल विवरण अभिलेख विवरण या प्रत्यर्थीगण में से किसी एक की ओर से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के आरोप एक ऐसा पहलू है जिसकी जाँच चरणबद्ध मुकदमे में की जाएगी।"

38. यद्यपि साक्ष्य के प्रमाणक मूल्य, गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता और स्थिरता पर अंतिम निर्णय विचारण के चरण में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, लेकिन जमानत आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, यह न्यायालय अभियोजन पक्ष के संस्करण में सामने आई खामियों से अनजान नहीं हो सकता, जो लगभग छह वर्ष की लंबी कैद (नाममात्र सूची दिनांकित 12.06.2023, के अनुसार अभिरक्षा अवधि 5 साल 5 महीने और 15 दिन है) याचिकाकर्ता को जमानत स्वीकृति देने का न्यायोचित्य प्रस्तुत करते है।

39. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने 61 गवाहों का हवाला दिया है, जिनमें से केवल 31 गवाहों से पूछताछ की गई है। इसलिए, विचारण के जल्द ही समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

40. राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. की आशंका कि याचिकाकर्ता एक साधन संपन्न व्यक्ति होने के नाते गवाहों को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए उन पर दबाव बना सकता है, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को कई बार अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है और याचिकाकर्ता द्वारा उक्त रियायत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा, सभी सार्वजनिक गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। फिर भी, विद्वान

अति.लो.अभि. द्वारा व्यक्त की गई आशंका को उपयुक्त शर्तें के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

41. यह सुव्यवस्थित है कि दोषसिद्धि से पहले के चरण में, यहाँ निर्दोष होने की उपधारणा होती है। किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का उद्देश्य विचारण का सामना करने और उसे दी जाने वाली सजा प्राप्त करने के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियाँ, याचिकाकर्ता को मुकदमे के समापन की प्रतीक्षा करने के लिए अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने का समुचित आधार प्रदान नही करता हैं। निरंतर अभिरक्षा के साथ अंतिम रूप से दोषमुक्ति गंभीर अन्याय का मामला होगा।

42. याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त के संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को डी.ए. 1-1998-ए-0025 में दिनांकित 28.05.2022 के निर्णय के माध्यम से बरी कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित सारांश के संलग्नक-डी के रूप में संलग्न किया गया है। जबकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 463/2002 के तहत लंबित बताया गया दूसरा मामला पुलिस थाना मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में दर्ज भा.दं.सं.की धारा 285/304 क के तहत वर्ष 2002 से संबंधित है यानी 20 साल से अधिक समय पहले और यह अभियोजन पक्ष का मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता हाल ही में किसी अन्य अपराध में शामिल रह चुका हो।

43. उच्चतम न्यायालय ***ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*** में अभिनिर्धारित किया है कि यह तथ्य अभियुक्त के खिलाफ कई आपराधिक आरोप स्वयं में अभी भी लंबित हैं, जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः

> *"73. ..... **इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध संगीन और गंभीर है और अभियुक्त के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं। ये कारक अपने आप में जमानत की प्रार्थना खारिज करने का आधार नहीं हो सकते हैं।** उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद अभियुक्त विक्रम सिंह को जमानत देने में अपने विवेक का प्रयोग किया है। अपीलकर्ता द्वारा आदेश में कोई पूर्व दृष्टया नहीं दिखाया गया है जो यह स्थापित करेगी कि इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग अनुचित होगा। हम तदनुसार जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश [विक्रम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल 5566] को बनाए रखते हैं। यह याचिका खारिज की जाती है।"*
>
> *(जोर दिया गया)*

44. उपरोक्त चर्चा की गई परिस्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता मुकदमे के लंबित रहने तक नियमित जमानत स्वीकृत का हकदार है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 50,000/ रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने और इस राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ अधीन जमानत के लिए स्वीकार किया जाता है जिनमें से एक परिवार के

सदस्य की होनी चाहिए, जो की विचारण न्यायालय/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/सीएमएम/ की संतुष्टि के अधीन हो, जो आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो।

क) याचिकाकर्ता इस न्यायालय की अनुमति के बिना रा.रा.क्षे. नही छोड़ेगा और आम तौर पर जेल अभिलेख के अनुसार/याचिका में उल्लिखित पते पर रहेगा।

ख) याचिकाकर्ता अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, विचारण न्यायालय के समक्ष उस समय सौंप देगा जब वह जमानत पत्र/प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत कर रहा हो।

ग) जब भी मामला सुनवाई के लिए लाया जाएगा, याचिकाकर्ता विद्वान् न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

घ) याचिकाकर्ता जामिया नगर, के उप-निरीक्षक/थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेगा: एक मोबाइल-फोन नंबर जिस पर याचिकाकर्ता से किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करेगा कि नंबर को हर समय सक्रिय और चालू रहेगा;

ङ) याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह या मामले के तथ्यों से परिचित अन्य व्यक्तियों से संपर्क नहीं करेगा, न ही उससे मिलने जाएगा, न ही कोई उत्प्रेरण, धमकी या वादा करेगा। याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही अन्यथा किसी

ऐसे कृत या लोप में लिप्त होगा जो गैरकानूनी है या जो लंबित मुकदमे की कार्यवाही में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

45. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से हैं और इसे मामले के गुणागुण पर राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा।

46. याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

47. आदेश की प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए संबंधित जेल अधीक्षक को भेजी जाए।

48. कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत दस्ती का आदेश दें।

49. आदेश न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. विकास महाजन

जनवरी 3, 2024
एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*